न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 01.04.2025

अपील संख्या 02 / 25

1–रमेश पुत्र अनुकूल उम्र 57 वर्ष जाति बंगाली निवासी नाटई तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

2–घनलक्ष्मी पुत्री अनुकूल उम्र 53 वर्ष जाति बंगाली निवासी नाटई तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

3–लक्ष्मी पुत्री अनुकूल उम्र 55 वर्ष जाति बंगाली निवासी नाटई हाल निवास पत्नि मिलन म.नं. 26 उडिया बस्ती दादाबाडी कोटा राज0 अपीलान्ट

बनाम

1–सरपंच ग्राम पंचायत नाटई तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

4– जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राज0 रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध फोती नामान्तरकरण क्रमांक 315 दिनांक 20.12.2000 ग्राम नाटई तहसील शाहावाद निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत नाटई तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

निर्णय–दिनांक 15.04.2025

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से–श्री धीरेन्द्र कुमार एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नाटई पटवार हल्का अजरोंडा तहसील शाहावाद में आराजी ख0नं0 49 / 272 रकबा 10.00 बीघा किस्म नहरी स्थित है। उक्त आराजी अपीलान्ट के पिता अनुकूल पुत्र जोगेश्बत सा. देह के खाते दर्ज रही है। अपीलान्ट अनुकूल पुत्र जोगेश्बत के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं, जिनके नाम प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण के जरिये खातेदार अनुकूल की विरासत दर्ज की गई है, जो सही है। अपीलान्ट क्रम 3 का घरेलु बोलता नाम पूरणलक्ष्मी है तथा रिकार्ड नाम लक्ष्मी है, जो अपीलान्ट के आधारकार्ड जनआधारकार्ड राशनकार्ड बेंक डायरी वोटरकार्ड में दर्ज है। वक्त तस्दीक प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण में अपीलान्ट का घरेलु बोलता नाम दर्ज कर दिया, जबकि पूरणलक्ष्मी दर्ज किया जाना चाहिये था। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं थी, दिनांक 19.02.25 को केसीसी बनवाने हेतु पटवारी से जमाबंदी प्राप्त करने पर ज्ञान हुआ, दिनांक 20.03.25 को नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश है। डिले कंडोन हेतु दफा 5 भारतीय मयाद अधिनियम संलग्न है। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि प्रश्नगत फोती नामान्तरकरण 315 दिनांक 20.12.2000 ग्राम नाटई तहसील शाहावाद को निरस्त किया जाकर अपीलांट का नाम पूरणलक्ष्मी के स्थान पर लक्ष्मी किया जाकर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:34:21 IST
Reason: SelfAttested

15/04/2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय सुनवाई की गई। अपीलांट को सुना गयां। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने प्रश्नगत नामान्तरकरण को इस आधार पर चेलेंज किया है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 3 का नाम पूरणलक्ष्मी गलत दर्ज कर दिया है, जबकि लक्ष्मी दर्ज किया जाना चाहिये था। संलग्न पत्रावली प्रति नामान्तरकरण नंबर 315 ग्राम नाटई दिनांक 20.12.2000 में खातेदार अनुकूल मंडल की विरासत पुत्र रमेश तथा पुत्री धनलक्ष्मी व पूरणलक्ष्मी के नाम दर्ज की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट क्रम 3 का नाम पूरणलक्ष्मी गलत दर्ज है, जबकि संलग्न पत्रावली आधारकार्ड पेनकार्ड वोटरकार्ड जनआधारकार्ड बेंकडायरी राशनकार्ड में लक्ष्मी दर्ज है, जो जांच का विषय है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण नंबर 315 ग्राम नाटई दिनांक 20.12.2000 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि खातेदार अनुकूल मंडल पुत्र जोगेश्वत बंगाली निवासी नाटई तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

15/04/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:34:21 IST
Reason: SelfAttested